13/5/24 ...

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –16/2020
GCMS No. –2020/00034

1. कम्मु उर्फ कमनबाई पुत्री हमीद खां जाति मुसलमान निवासी जुना बाजार चित्तौड़गढ़।
2. बेना उर्फ मुमताज पुत्री हमीद खां मुसलमान निवासी सुनारों की गली, सावा तहसील चित्तौड़गढ़।
3. पिनु उर्फ अनिसा बानो पुत्री हमीद खां मुसलमान निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. बबली उर्फ शबाना पुत्री हमीद खां निवासी धनेतकलां तहसील निम्बाहेडा

—— वादीगण

बनाम

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मुश्ताक पुत्र हमीद खां जी जाति मुसलमान निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री बाबुलाल प्रजापत की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता के खाता संख्या 585 की आराजी नंबर 280,281,287,1638 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर स्थित भूमि में वादी क्रमांक 1 कम्मु का नाम कमनबाई, वादी क्रमांक 2 बेना का नाम मुमताज, वादी क्रमांक 3 पिनु का नाम अनिसा बानो, एवं वादी क्रमांक 4 बबली का नाम शबाना खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 02.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner